न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 85/2023

1 किताबो पुत्री हनुमान उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 बुद्धराम पुत्र हनुमान उम्र 30 साल जाति मेघवाल निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 महावीर पुत्र हनुमान उम्र 45 साल जाति मेघवाल निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रायसिंह पुत्र हरदान सिंह उम्र 82 साल जाति अहिर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू राज. मुकदमा उनवानी रायसिंह बनाम किताबो वगै. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 162/2020 निर्णय दिनांक 16.09.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री अशोक लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 11.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 162/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 16.09.2022 के द्वारा निर्णित कर स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान (गर्वमेन्ट) रूल्स 1955 के नियम 69 को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में खेत खसरा नम्बर 1748/1008 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 1.18 कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर में से नया रास्ता क्लेम किया है। उक्त आवश्यकता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिये अत्यन्त आवश्यकता नहीं थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ते मौजुद रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से यह एक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्टस की सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1748/1008 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 1.18 कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी कोई रास्ता नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया कि वह अपने खेतों में प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती तक कहां से आती जाती रही है। खेत खसरा नम्बर 1748/1008 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 1.18 कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर के बीचों–बीच रास्ता कायम कर कृषि भूमि की उपयोगिता को खत्म किया गया है। विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 07.03.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने अनुसार तैयार करवाकर प्रस्तुत किया है जिस पर अपीलान्टस के कही कोई हस्ताक्षर नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सबसे नजदीक पश्चिमी साइड से रास्ता लगता है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी साईड रास्ता नहीं दिखाया है। अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 1748/1008 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 1.18 कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर में से विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कटानी रास्ते का आदेश किया है उक्त रास्ते पर अपीलान्ट के रहवास हेतु मकानात बने हुये है। विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 07.03.2022 के आधार पर निर्णय पारित किया है उक्त रिपोर्ट को निर्णय का भाग बताया है। उक्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दु ए पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कहा से पहुंचता है यह दर्ज नहीं है। खेत खसरा नम्बर 1748/1008 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 1.18 कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता नहीं है। इसके बावजुद भी विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वास्तुस्थिति को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1010 के लिये पश्चिमी साईड से भी निकटतम व सुविधाजनक उपलब्ध है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)